न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/77/2021	2021/180	08.10.2021	30.04.2024

1. बिजेन्दर पुत्र श्री भोलाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम मोलिया, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 10.03.2017 तहसीलदार लक्ष्मणगढ प्रकरण संख्या 12/2017।

उपस्थितः—

01. श्री मूलचंद चौधरी —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 10.03.2017 प्रकरण संख्या 12/2017 जिसके द्वारा संवत 2073 में ग्राम मोलिया तहसील लक्ष्मणगढ की आराजी खसरा न0 341 रकबा 0.15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.08 है0 पर सरसों काश्त कर अतिक्रमण करने पर 50 गुना पैनल्टी व बेदखली की कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा न0 341 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम मोलिया तहसील लक्ष्मणगढ किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.08 है0 रकबे पर अतिक्रमी मानते हुए उक्त आदेश पारित किये हैं। उक्त विवादित आराज कभी भी रास्ते की भूमि नही रही है। बल्कि सही तथ्य यह है कि आराजी खसरा न0 336, 341, 343 वाके ग्राम मौलिया के साबिक खसरा न0 190 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा मि अपीलान्ट के पिता भोलाराम की खातेदारी की आराजी थी जो कि राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित है। मिन अपीलान्ट के पिता कि स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजी मिन अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त हुई तथा साबिक आराजी खसरा न0 190 के बंदोबस्त विभाग द्वारा तीन न0 बना दिये गये जिसमें खसरा न0 336 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, 341 रकबा 6 बिस्वा व 343 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में है जबकि खसरा न0 336 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व 343 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा मिन अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा शेष खसरा न0 341 रकबा 6 बिस्वा को बंदोवस्त विभाग द्वारा गलत तौर से रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया। उक्त जबकि उक्त आराजी भी मिन अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिए था तथा उक्त आराजी कभी भी रास्ते की भूमि नही रही है। कानूनन बंदोवस्त विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को बिना किसी आदेश के किस्म परिवर्तन करने का कोई हक वो अधिकार किसी प्रकार का नही था। उक्त गलत इन्द्राज करने के कारण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु मिन अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ की अदालत में एक राजस्व वाद मुकदमा न0 1/395 बउनवान विजेन्द्र वादी बनाम राजस्थान सरकार दायर किया गया जो वाद स्वीकार कर दिनांक 20.06.2016 को निर्णय व डिक्री पारित की जाकर मिन अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा न0 341 रकबा 6 विस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने तथा उक्त आदेश की प्रति मिन अपीलान्ट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब के साथ पेश की लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया और अपना बेजा तौर पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील विचाराधीन है तथा दौराने अपील विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर मिन अपीलान्ट बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर कार्य काश्तकारी कर रहा है जो कि आराजी के साबिक रिकार्ड से बखूबी सावित है। जिस स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही न्यायसंगत नही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ जिला अलवर का आदेश दिनांक 10.03.2017 निरस्त किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने से बेदखली की कार्यवाही की गई। पत्रावली पर बहस सुनी गई। संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 20.06.2016 एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 18.12.2019 द्वारा निर्णय किया गया है जिसमें उक्त आराजी खसरा नं0 341 रकबा 6 बीस्वा वाके ग्राम मोलिया तहसील लक्ष्मणगढ को खातेदारी घोषित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय के उपरान्त तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.03.2017 को 91 की कार्यवाही की गई है जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार प्रकरण में विवादित आराजी के संबंध में विभिन्न न्यायालय द्वारा फैसले हो चुके थे। न्यायालय तहसीलदार को इस तथ्य के निर्णय करने से पूर्व गौर करना चाहिए। अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट रिकॉर्ड अनुसार प्रमाणित होने से स्वीकार की जाती है। न्यायालय तहसीलदार द्वारा राजस्व ग्राम मोलिया आराजी नं0 341 रकबा 0.08 है0 के संबंध में दिनांक 10.03.2017 को पारित निर्णय को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः परीक्षण करें, रिकॉर्ड का मिलान करें और यदि प्रकरण बनता है तो पक्षकार को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर विस्तृत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय)